भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
* * *
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4053

(दिनांक 17.07.2019 को उत्तर के लिए)

आरक्षित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व

4053. श्री खगेन मुर्मु :
डॉ. सुकान्त मजूमदार :
श्री राजा अमरेश्वर नाईक :
श्री विनोद कुमार सोनकर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की सेवाओं में अ.जा., अ.ज.जा और अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व उनके आरक्षण के प्रतिशत की तुलना में काफी कम है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालय/विभाग-वार मौजूदा स्थिति और इसके कारण क्या है;
(ग) क्या कई मंत्रालय/विभाग उक्त वर्गों के सेवाओं में प्रतिनिधित्व के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट समय पर सौंपने में विफल रहे हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ड.) क्या सरकार विभिन्न भर्ती अभियानों के माध्यम से अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. की बहुत-सी बकाया रिक्तियों को भरने में विफल रही है;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालय/विभाग-वार मौजूदा स्थिति क्या है और इसके कारण क्या हैं:
(छ) क्या उक्त मंत्रालय/विभागों को धनराशि के निर्गम की प्रक्रिया को इन बैकलॉग रिक्तियों को भरने के अध्यधीन करने की अविलंबनीय आवश्यकता है; और
(ज) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : 78 मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 01.01.2016 तक की स्थिति के अनुसार, केंद्र सरकार की सेवाओं तथा पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का प्रतिनिधित्व क्रमशः **17.49%, 8.47%** और **21.57%** था।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत (15% और 7.5%) से अधिक है। केन्द्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का प्रतिनिधित्व 21.57% है जो उनके लिए निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत से कम है। तथापि, सितम्बर 1993 से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की शुरूआत के बाद से इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का दिनांक 01.01.2012 तक की स्थिति के अनुसार प्रतिनिधित्व 16.55 % था जो अब बढ़कर दिनांक 01.01.2016 तक की स्थिति के अनुसार 21.57% हो गया है।

दिनांक 01.01.2016 तक की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का मंत्रालय/विभाग वार प्रतिनिधित्व (प्रतिशत में) **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : मंत्रालय/विभाग देश भर में फैली अपनी सभी नियंत्रणाधीन इकाइयों से आंकड़े एकत्रित करते हैं और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को समेकित आंकड़े सौंपते हैं। 79 प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों से आंकड़े मुहैया कराने की अपेक्षा थी जिसमें से दिनांक 01.01.2016 तक की स्थिति अनुसार, 78 मंत्रालयों/विभागों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रधिनिधित्व से संबंधित आंकड़े प्रदान किए हैं। दिनांक 01.01.2017 और 01.01.2018 तक के आंकड़ों के संबंध में क्रमश: 75 तथा 61 प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों ने आंकड़े प्रदान किए हैं।

(ङ) और (च) : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग केंद्र सरकार में 90 प्रतिशत से अधिक कार्मिकों वाले 10 मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरने में हुई प्रगति की निगरानी करता है।

दस मंत्रालयों/विभागों द्वारा जिनमें उनके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थाएँ, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि भी शामिल हैं, मुहैया करवाई गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 01.04.2012 से 31.12.2016 तक की अवधि के दौरान 92589 बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों में से (अनुसूचित जाति के लिए 29198, अनुसूचित जनजाति के लिए 22829 और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 40562) 63876 बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों (अनुसूचित जाति के लिए 20975, अनूसूचित जनजाति के लिए 15874 और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27027) को भरा गया था और दिनांक 01.01.2017 तक की स्थिति के अनुसार 28,713 बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां भरी नहीं गई थीं।

इन दस मंत्रालयों/विभागों में से, पांच मंत्रालयों/विभागों ने आगे और यह सूचित किया है कि 31.12.2017 तक की स्थिति के अनुसार 21499 बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों में से (अनुसूचित जाति के लिए 7532, अनुसूचित जनजाति के लिए 6887 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7080) 12334 बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को (अनुसूचित जाति के लिए 4514 और अनुसूचित जनजाति के लिए 3595 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4225) भरा गया था और दिनांक 01.01.2018 तक की स्थिति के अनुसार 9165 बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को (अनुसूचित जाति के लिए 3018 और अनुसूचित जनजाति के लिए 3292 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2855) भरा नहीं गया था।

दिनांक 01.01.2017 तक की स्थिति के अनुसार दस मंत्रालयों/विभागों के तथा दिनांक 01.01.2018 तक की स्थिति के अनुसार पांच मंत्रालयों/विभागों की बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों का श्रेणी -वार ब्योरा **संलग्नक II एवं III** में दिया गया है।

(छ) और (ज) : कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने मंत्रालयों/विभागों को पहले ही यह अनुदेश जारी कर दिए हैं कि वे बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों के मूल कारणों का अध्ययन करने और ऐसे कारणों को दूर करने से संबंधित कदम उठाने तथा ऐसी रिक्तियों को विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से भरे जाने के लिए आंतरिक समिति गठित करें।

संलग्नक-I

आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में दिनांक 17.07.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4053 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विनिर्दिष्ट संलग्नक

दिनांक 01.01.2016 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार की सेवाओं तथा पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व (प्रतिशत में)				
क्र.सं.	**मंत्रालय/विभाग**	**अ.जा.**	**अ.ज.जा**	**अ.पि.व**
1.	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	*23.1*	*6.96*	*12.97*
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	*16.67*	*8.33*	*2.78*
3.	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	*21.18*	*4.08*	*19.72*
4.	मंत्रिमंडल सचिवालय	*12.7*	*2.28*	*13.03*
5.	नागर विमानन मंत्रालय	*17.85*	*5.07*	*15.31*
6.	वाणिज्य मंत्रालय	*24.51*	*7.71*	*7.43*
7.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	*22.68*	*7.7*	*16.52*
8.	संस्कृति मंत्रालय	*14.14*	*3.96*	*12.34*
9.	परमाणु ऊर्जा विभाग	*16.43*	*6.87*	*20.83*
10.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	*13.1*	*14.29*	*11.9*
11.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	*17.16*	*6.51*	*8.28*
12.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	*21.95*	*7.17*	*11.92*
13.	विदेश मंत्रालय	*19.09*	*5.05*	*12.8*
14.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	*37.5*	*3.12*	*3.12*
15.	गृह मंत्रालय	*16.18*	*10.12*	*25.45*
16.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	*24.78*	*10.5*	*15.91*
17.	श्रम तथा रोजगार मंत्रालय	*21.93*	*7.57*	*16.16*
18.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	*20.3*	*7.75*	*11.19*
19.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	*19.7*	*6.06*	*13.64*
20.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	*26.04*	*4.17*	*7.29*
21.	पंचायती राज मंत्रालय	*19.4*	*2.99*	*20.9*
22.	संसदीय कार्य मंत्रालय	*24.24*	*10.1*	*17.17*
23.	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग	*22.45*	*4.08*	*8.16*
24.	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग	*18.18*	*4.55*	*11.36*
25.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	*12.25*	*4.31*	*8.92*
26.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	*22.22*	*5.33*	*6.67*
27.	विद्युत मंत्रालय	*23.82*	*5.29*	*8.32*
28.	रेल मंत्रालय	*17.4*	*8.02*	*21.91*
29.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	*20.64*	*2.85*	*9.96*
30.	अंतरिक्ष विभाग	*11.66*	*3.63*	*22.12*
31.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	*16.53*	*7.42*	*21.6*
32.	इस्पात मंत्रालय	*17.39*	*4.74*	*8.3*
33.	कपड़ा मंत्रालय	*17.02*	*3.99*	*9.61*
34.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	*23.01*	*8.85*	*14.16*
35.	शहरी विकास मंत्रालय	*24.57*	*7.64*	*7.3*
36.	जल संसाधन मंत्रालय	*19.28*	*7.57*	*16.05*
37.	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय	*17.63*	*7.46*	*14.58*

38.	आयुष मंत्रालय	12.87	5.85	25.73
39.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	25.73	6.93	13.33
40.	रक्षा विभाग	20.23	6.68	19.23
41.	रक्षा उत्पाद विभाग	19.14	7.55	16.7
42.	विनिवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन मंत्रालय	19.61	1.96	13.73
43.	आर्थिक कार्य विभाग	19.36	5.99	8.98
44.	व्यय विभाग	19.28	4.85	10.95
45.	वित्तीय सेवा विभाग	22.82	5.83	13.59
46.	राजस्व विभाग	18.46	6.53	11.43
47.	जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय	18.99	9.5	7.82
48.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	23.76	6.31	5.71
49.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	19.54	6.9	8.05
50.	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग	26.36	5.43	13.95
51.	उर्वरक विभाग	23	3	14.5
52.	फार्मास्यूटिकल्स विभाग	23.01	5.31	10.62
53.	कोयला विभाग	27.34	3.52	5.86
54.	कॉर्पोरेट कार्य विभाग	18.57	7.89	14.26
55.	उपभोक्ता मामले विभाग	21.63	7.37	12.98
56.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	20.31	6.29	18.07
57.	भारी उद्योग विभाग	22.22	7.02	8.77
58.	लोक उद्यम विभाग	19.44	6.94	9.72
59.	उच्चतर शिक्षा विभाग	23.42	5.88	9.97
60.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई)	13.44	4.43	14.01
61.	डाक विभाग	18.48	8.03	17.49
62.	दूरसंचार विभाग	16.72	5.14	10.54
63.	विधि कार्य विभाग	22.04	4.35	10.04
64.	विधायी विभाग	22.15	4.7	11.41
65.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	12.36	6.74	14.61
66.	भूमि संसाधन विभाग	18.67	6.67	5.33
67.	ग्रामीण विकास विभाग	19.65	6.05	10.83
68.	खान मंत्रालय	19.6	9.42	13.29
69.	नीति आयोग	20.96	4.97	8.7
70.	राष्ट्रपति सचिवालय	23.62	4.43	13.28
71.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	20.65	7.06	13.86
72.	पोत परिवहन मंत्रालय	23.66	11.73	14.99
73.	पर्यटन मंत्रालय	27.91	8.14	13.08
74.	संघ लोक सेवा आयोग	27.74	4.08	9.09
75.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	29.01	5.56	14.2
76.	उप राष्ट्रपति सचिवालय	24.49	2.04	8.16
77.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	16.77	7.76	13.37
78.	चुनाव आयोग	20.29	5.13	15.16
कुल		17.49	8.47	21.57

संलग्नक -II

आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में दिनांक 17.07.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4053 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में विनिर्दिष्ट संलग्नक

बैकलॉग रिक्तियों (दिनांक 31.12.2016 तक की स्थिति अनुसार), भरी गई रिक्तियों (दिनांक 31.12.2016 तक की स्थिति अनुसार) तथा भरे जाने के लिए शेष रिक्तियों का (01.01.2017 की स्थिति अनुसार) श्रेणी-वार विवरण

मंत्रालय/विभाग	**अ.जा.**			**अ.ज.जा.**			**अ.पि.व.**			**कुल (अ.जा.+ अ.ज.जा.+ अ.पि.व.)**		
	रिक्तियां	**भरी जा चुकी रिक्तियां**	**भरे जाने के लिए शेष रिक्तियां**	**रिक्तियां**	**भरी जा चुकी रिक्तियां**	**भरे जाने के लिए शेष रिक्तियां**	**रिक्तियां**	**भरी जा चुकी रिक्तियां**	**भरे जाने के लिए शेष रिक्तियां**	**रिक्तियां**	**भरी जा चुकी रिक्तियां**	**भरे जाने के लिए शेष रिक्तियां**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
डाक	673	372	301	717	257	460	718	234	484	2108	863	1245
रक्षा उत्पादन	1014	1013	1	1597	1579	18	164	149	15	2775	2741	34
वित्तीय सेवाएँ	9528	8598	930	6456	5391	1065	14455	13030	1425	30439	27019	3420
परमाणु ऊर्जा	292	195	97	398	191	207	1444	802	642	2134	1188	946
रक्षा	703	304	399	893	527	366	2707	1439	1268	4303	2270	2033
रेलवे	2194	2049	145	4266	3942	324	2204	2194	10	8664	8185	479
राजस्व	3631	1220	2411	2226	585	1641	5064	2076	2988	10921	3881	7040
आवासन एवं शहरी कार्य	226	75	151	257	82	175	692	95	597	1175	252	923
मानव संसाधन विकास	926	336	590	614	145	469	1557	571	986	3097	1052	2045
गृह	10011	6813	3198	5405	3175	2230	11557	6437	5120	26973	16425	10548
कुल	**29198**	**20975**	**8223**	**22829**	**15874**	**6955**	**40562**	**27027**	**13535**	**92589**	**63876**	**28713**

संलग्नक -III

आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में दिनांक 17.07.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4053 के भाग (छ) और (ज) के उत्तर में विनिर्दिष्ट संलग्नक

बैकलॉग रिक्तियों (दिनांक 31.12.2017 तक की स्थिति अनुसार), भरी गई रिक्तियों (दिनांक 31.12.2017 तक की स्थिति अनुसार) तथा भरे जाने के लिए शेष रिक्तियों का (01.01.2018 की स्थिति अनुसार) श्रेणी-वार विवरण

मंत्रालय/विभाग	**अ.जा.**			**अ.ज.जा.**			**अ.पि.व.**			**कुल (अ.जा.+ अ.ज.जा.+ अ.पि.व.)**		
	रिक्तियां	**भरी जा चुकी रिक्तियां**	**भरे जाने के लिए शेष रिक्तियां**	**रिक्तियां**	**भरी जा चुकी रिक्तियां**	**भरे जाने के लिए शेष रिक्तियां**	**रिक्तियां**	**भरी जा चुकी रिक्तियां**	**भरे जाने के लिए शेष रिक्तियां**	**रिक्तियां**	**भरी जा चुकी रिक्तियां**	**भरे जाने के लिए शेष रिक्तियां**
डाक	353	129	224	218	37	181	305	109	196	876	275	601
रक्षा उत्पादन	4889	3560	1329	4086	2428	1658	2812	2408	404	11787	8396	3391
वित्तीय सेवाएँ	1790	559	1231	1923	815	1108	1987	707	1280	5700	2081	3619
परमाणु ऊर्जा	292	209	83	398	239	159	1444	933	511	2134	1381	753
आवासन एवं शहरी कार्य	208	57	151	262	76	186	532	68	464	1002	201	801
कुल	**7532**	**4514**	**3018**	**6887**	**3595**	**3292**	**7080**	**4225**	**2855**	**21499**	**12334**	**9165**